कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन,उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश सं0 01 /1–15(HRD) देहरादून, दिनांक, जनवरी, 30, 2017

निलम्बन आदेश

श्री नन्द किशोर पन्त, उपराजिक, काली कुमायूँ रेंज, लोहाघाट, चम्पावत वन प्रभाग को 54–लोहाघाट विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 में स्थैतिक निगरानी दल के टीम प्रभारी के रूप में तैनात किया गया है। रिटर्निंग आफिसर 54–लोहाघाट विधान सभा क्षेत्र के पत्रांक–29 / वि0स0सा0नि0–2017 / आ0आ0सं0 / 2017 दिनांक 23 जनवरी 2017 के कम में निर्वाचन ड्यूटी से अनुपस्थित पाये गये। श्री नन्द किशोर पन्त, उपराजिक, काली कुमायूँ रेंज, लोहाघाट, चम्पावत वन प्रभाग के द्वारा निर्वाचन जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यो में शिथिलता बरती गयी तथा निर्वाचन कार्यो में बाधा पहुँचाने का कार्य किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों की अवमानना / उल्लंघन के साथ–साथ कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम–3 के उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप जिला निर्वाचन अधिकारी, चम्पावत द्वारा की गयी संस्तुति के कम में दिनांक 24–01–2017 से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन की अवधि में श्री नन्द किशोर पन्त, उपराजिक, काली कुमायूँ रेंज, लोहाघाट, चम्पावत वन प्रभाग को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगें, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

उपर्युक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जबकि श्री नन्द किशोर पन्त, उपराजिक इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नही लगे है। निलम्बन अवधि में श्री नन्द किशोर, उपराजिक नोडल अधिकारी (कार्मिक व्यवस्था) / मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत के कार्यालय में सम्बद्ध रहेंगे।

30.01.2017

(मोनिष मल्लिक)
प्रमुख वन संरक्षक,
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
प्रबन्धन,उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 01 (1)/1-15 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी (कार्मिक व्यवस्था), चम्पावत।

4– जिला निर्वाचन अधिकारी, चम्पावत को उनके पत्रांक–976/29–I–11(2016–17) दिनांक 24–01–2017 के कम में।

5– मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ।

6– वन संरक्षक, उत्तरी कुमॉऊ वृत्त, नैनीताल।

7– प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि श्री नन्द किशोर पन्त, उपराजिक को आदेश की प्रति हस्तगत कराकर प्राप्ति सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

8– श्री नन्द किशोर पन्त, उपराजिक द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

9– गार्डफाईल।

30.01.2017

(मोनिष मल्लिक)
प्रमुख वन संरक्षक,
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
प्रबन्धन,उत्तराखण्ड, देहरादून।